



SECTION WISE WORK DISRIBUTION

Principal Secretary

**Under Secretary
(Vacant)**

Deputy Secretary

Joint Secretary (Law)

**Add. Secretary-Cum-
Int. Financial Adviser**

1. सूचना का अधिकार (सहायक लोक सूचना पदाधिकारी)
2. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
3. लेखन सामग्री (स्टेशनरी क्रय संबंधी कार्य)
4. विभागीय क्रय
5. उद्योग विभाग,
6. पर्यटन विभाग,
7. विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
8. गन्ना उद्योग विभाग
9. उर्जा विभाग
10. खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
11. मानवाधिकार/लोकायुक्त/अनुसूचित जाति, जनजाति से संबंधित मामलों के नोडल पदाधिकारी
12. खान एवं भूतत्व विभाग
13. समाज कल्याण विभाग
14. सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग
15. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
16. पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
17. समय-समय पर आवंटित अन्य कार्य।

1. सूचना का अधिकार (लोक सूचना पदाधिकारी)
2. स्थापना (राजपत्रित, अराजपत्रित एवं आन्तरिक निगरानी सहित)
3. बजट एवं अंकेक्षण से संबंधित कार्य
4. शिक्षा विभाग
5. कला, संस्कृति एवं युवा विभाग
6. निर्वाचन विभाग
7. अनुजाति/जनजाति कल्याण विभाग
8. निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
9. श्रम संसाधन विभाग
10. ग्रामीण विकास विभाग
11. साहकारिता विभाग
12. योजना एवं विकास विभाग
13. आपदा प्रबंधन विभाग
14. पंचायती राज विभाग
15. वित्त विभाग
16. कृषि विभाग
17. नगर विकास एवं आवास विभाग
18. समय-समय पर आवंटित अन्य कार्य।

1. विधि परामर्शी
2. बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 के सम्पत्ति दायर मामले से संबंधित।
3. राज्य मुकदमा नीति के तहत विधि विभाग से गठित Empowered Committee की बैठक (MJC/CWJC/LPA/SLP) से संबंधित मामलों का अनुश्रवण एवं प्रगति प्रतिवेदन तैयार करना।
4. विभिन्न न्यायालयों से संबंधित वादों का नियमित अनुश्रवण एवं प्रतिशपथ पत्र दायर करने संबंधी कार्रवाई।
5. विशेष लोक अभियोजकों/विधि पदाधिकारियों के कार्य कलापों का अनुश्रवण।
6. विशेष लोक अभियोजकों/विधि पदाधिकारियों के विपत्र संबंधी कार्य।
7. विधि विभाग एवं न्यायिक कार्य (नोडल पदाधिकारी सहित)
8. विभिन्न न्यायालयों/उच्च न्यायालयों से संबंधित वादों का नियमित अनुश्रवण
9. विभागीय जन शिकायत मामला से संबंधित कार्य एवं राज्य मुकदमा नीति के तहत गठित समितियों से संबंधित मामले का अनुश्रवण एवं प्रगति प्रतिवेदन तैयार करना।
10. जन शिकायत कोषांग
11. विधि विभाग
12. संसदीय कार्य विभाग (विधान मंडलीय कार्य सहित)
13. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग (राजभाषा/सिविल विमानन सहित)
14. गृह विभाग
15. पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
16. परिवहन विभाग
17. वन एवं पर्यावरण विभाग (अ0भा0व0 सेवा को छोड़कर)
18. स्वास्थ्य विभाग
19. समय-समय पर आवंटित अन्य कार्य।
20. उद्योग विभाग
21. पर्यटन विभाग
22. विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
23. गन्ना उद्योग विभाग
24. खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
25. खान एवं भूतत्व विभाग
26. सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग

1. नीति विषयक मामले एवं सामान्य समन्वय अखिल भारतीय सेवा (भा०प्र०से०/भा०पु०से०/भा०व०से०)
2. स्थापना (राजपत्रित, अराजपत्रित एवं आन्तरिक निगरानी सहित) (वरीय प्रभारमें)
3. सामान्य प्रशासन विभाग
4. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
5. सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग
6. ग्रामीण कार्य विभाग
7. वाणिज्य-कर विभाग
8. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
9. जल संसाधन विभाग
10. लघु जल संसाधन विभाग
11. पथ निर्माण विभाग
12. भवन निर्माण विभाग
13. निगरानी विभाग
14. विशेष निगरानी इकाई से संबंधित मामले
15. सूचना का अधिकार (अपीलीय प्राधिकार) प्रशिक्षण से संबंधित कार्य
16. सेवांत लाभ के नोडल पदाधिकारी
17. समय-समय पर आवंटित अन्य कार्य।
18. बजट एवं अंकेक्षण से संबंधित कार्य (अवर सचिव के माध्यम से)
19. लेखन सामग्री (स्टेशनरी क्रय संबंधी कार्य)
20. विभागीय क्रय
21. उर्जा विभाग
22. मानवाधिकार/लोकायुक्त/अनुसूचित जाति, जनजाति से संबंधित मामलों के नोडल पदाधिकारी
23. समाज कल्याण विभाग
24. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
25. पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग